

अनुदान संख्या 66 – अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
GRANT No. 66 - MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	4534,96,00		
पूरक	Supplementary	5,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	4535,01,00	3679,84,51	-855,16,49
				851,60,06
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	165,04,00		
पूरक	Supplementary	8,18,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	173,22,00	173,17,55	-4,45
				4,45

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "2225"	Major Head "2225"			
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities			
मू.	O.	254915.00		
पू.	S.	2.00	208292.06	208105.43
पु.	R.	-46624.94		-186.63

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------------------

शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare			
मू.	O.	45129.00		
पू.	S.	2.00	41988.26	41821.30
पु.	R.	-3142.74		-166.96
मुख्य शीर्ष "2552" पूर्वोत्तर क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas			
मू.	O.	41743.00
पु.	R.	-41743.00		..
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	109250.00		
पू.	S.	1.00	116059.87	116059.87
पु.	R.	6808.87		..
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की विधानमंडल वाली सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	545.00
पु.	R.	-545.00		..

(I) ₹42288.00 लाख का प्रावधान चौदह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹41808.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - स्वैच्छिक संगठन को सहायता - अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग और सहयोगी योजना" - ₹600.00 लाख;

(ख) "सामान्य - (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण) - अन्य व्यय" -

(i) "अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी, पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन छात्रवृत्ति" - ₹2500.00 लाख;

(ii) "चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल ब्लकों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹23383.00 लाख;

(iii) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" - ₹5000.00 लाख;

(iv) "अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति" - ₹4000.00 लाख;

(v) "अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अद्येतावृत्ति" - ₹1800.00 लाख; और

(vi) "कौशल विकास पहल" - ₹2800.00 लाख;

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनिर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों

(I) Provision of ₹42288.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹41808.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head "2552"

(a) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Aid to Voluntary Organisations - Coaching and Allied Scheme for Minorities" - ₹600.00 lakhs;

(b) "General - (Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities) - Other Expenditure" -

(i) "Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses for Minorities" - ₹2500.00 lakhs;

(ii) "Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected Minorities concentration Blocks" - ₹23383.00 lakhs;

(iii) "Pre-Matric scholarship for Minorities" - ₹5000.00 lakhs;

(iv) "Post-Matric scholarship for Minorities" - ₹4000.00 lakhs;

(v) "National Fellowship for students from Minority Communities" - ₹1800.00 lakhs; and

(vi) "Skill Development Initiatives" - ₹2800.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on

को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vii) “नई मंजिल” – ₹1200.00 लाख – पूर्वोत्तर राज्यों से मांगों की प्राप्ति न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – चुनिंदा अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों में अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम” – ₹525.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2225” – “अल्पसंख्यकों का कल्याण – शिक्षा” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता अनुदान” – ₹8901.00 लाख की बचत (₹12501.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(खा) “अल्पसंख्यकों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए योग्यता और साधन छात्रवृत्ति” – ₹23370.92 लाख की बचत (₹49330.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों द्वारा संदिग्ध लाभार्थियों के पुनर्वैधीकरण की वजह से योग्यता में कम योग्य आवेदनों की उपलब्धता होने, पेशवरों को न रखे जाने और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(गा) “अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति” – ₹29441.35 लाख की बचत (₹64695.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लाभार्थियों से व्यवहार्य और पर्याप्त आवेदनों की प्राप्ति न होने, पेशवरों को रखें न जाने एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(घा) “अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अद्येतावृत्ति” – ₹3715.00 लाख की बचत (₹13500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय अनुदान

schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vii) “Nai Manzil” - ₹1200.00 lakhs - due to non-receipt of demands from North Eastern States.

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share-Multi-Sectoral Development Programme for Minorities in selected Minority concentration blocks” - ₹525.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.

(II) Under Major Head “2225” - “Welfare of Minorities - Education” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Grants-in-aid to Maulana Azad Education Foundation”- saving of ₹8901.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12501.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(B) “Merit-cum-Means Scholarship for Professional and Technical Courses for Minorities” - saving of ₹23370.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹49330.00 lakhs) was due to availability of less eligible applications in merit owing to revalidation of doubtful beneficiaries by States, non-hiring of professionals and receipt of less claims from the Union Territory Governments.

(C) “Post-Matric Scholarship for Minorities”- saving of ₹29441.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹64695.00 lakhs) was due to non-receipt of viable and adequate applications from beneficiaries, non-hiring of professionals and receipt of less claims from the Union Territory Governments.

(D) “Maulana Azad National Fellowship for Minority Students” - saving of ₹3715.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13500.00 lakhs)

आयोग से कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ड़) “मुफ्त कोचिंग एवं संबद्ध स्कीम” – ₹2338.85 लाख की बचत (₹6800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) “नई मंजिल” – ₹3426.66 लाख की बचत (₹12800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति कम होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2235” – “समाज कल्याण – अन्य कार्यक्रम” – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “कौशल विकास पहल” – ₹4611.28 लाख की बचत (₹22170.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चुनाव आचार संहिता के कार्यान्वयन की वजह से परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न होने के कारण हुई।

(खा) “अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान” – ₹682.15 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पर्याप्त एवं व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति न होने एवं प्रशासनिक कारणों की वजह से प्रचार एवं प्रसार पर प्रस्तावों के अनुमोदन न होने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/शेयर – शिक्षा सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका तथा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम” – ₹1136.57 लाख की बचत (₹1760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रशासनिक व्यय संबंधित कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

was due to receipt of less demand from University Grants Commission.

(E) “Free Coaching and Allied Scheme”- saving of ₹2338.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6800.00 lakhs); and

(F) “Nai Manzil” - saving of ₹3426.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12800.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals from the Project Implementing Agencies.

(III) Under Major Head “2235” - “Social Welfare - Other Programmes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Skill Development Initiatives” - saving of ₹4611.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22170.00 lakhs) was due to non-signing of Memorandum of Understanding with the Project Implementing Agencies owing to implementation of Election Code of Conduct.

(B) “Media Campaign for Minorities”- saving of ₹682.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate and viable proposals and non-approval of proposals on advertisement and publicity owing to administrative reasons.

(IV) Under Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share-Education Empowerment, Skill Development and Livelihood and Special Programmes of Minorities”- saving of ₹1136.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1760.00 lakhs) was due to receipt of less claims towards administrative expenses from the State Governments.

(V) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹1242.87 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 से 73 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10485.81 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2235" - "समाज कल्याण - अन्य कार्यक्रम" -

(क) "विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायिकी" - ₹2099.60 लाख।

(ख) "अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन स्कीम" - ₹440.77 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम - केन्द्रीय सहायता/शेयर - अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" - ₹7945.44 लाख।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2225" - "अल्पसंख्यकों का कल्याण - शिक्षा - अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं - ₹25294.65 लाख का अधिक व्यय (₹92095.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) छात्रवृत्ति की लंबित देनदारियों की मंजूरी संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(V) Under three heads savings of ₹1242.87 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 24 percent to 73 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹10485.81 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2018 and February, 2019 - under the following major heads:

(A) Major Head "2235" - "Social Welfare - Other Programmes" -

(a) "Interest subsidy on Educational Loans for Overseas studies" - ₹2099.60 lakhs.

(b) "Research/Studies, Monitoring and Evaluation of Schemes" - ₹440.77 lakhs.

(B) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes-Central Assistance/Share-Multi Sectoral Development Programmes for Minorities" - ₹7945.44 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2225" - "Welfare of Minorities - Education - Pre-Matric Scholarship for Minorities" - excess of ₹25294.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹92095.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities of scholarship and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving—
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4225" अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4225" Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities				
मू.	O.	15003.00			
पु.	R.	1497.00	16500.00	16500.00	..
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	1501.00
पु.	R.	-1501.00			

(I) ₹1502.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹1501.00 लाख मुख्य शीर्ष "4552" - "सामान्य (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय) - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1502.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these ₹1501.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "General (Capital Outlay on Welfare for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities)-Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4225" - अल्पसंख्यकों का कल्याण - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई - ₹1498.00 लाख का अधिक व्यय (₹15002.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were offset by excess under Major Head "4225" - "Welfare of Minorities - Investment in Public Sector and Other Undertakings - National Minorities Development and Finance Corporation" - excess of ₹1498.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15002.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.